

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon\_north@rediffmail.com, (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1246 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 12-10-2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद चम्पावत के अन्तर्गत बाराकोट में सुतेड़ा से जमरेड़ी व क्रान्तेश्वर तक मोटर मार्ग हेतु 2.760 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक FP/UK/ROAD/42256/2019 दिनांक 01.09.2022।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में आपके संदर्भित द्वारा लगाई गयी आपत्ति का प्रतिउत्तर जो प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत बन प्रभाग, चम्पावत के पत्रांक 1245 / 12-1 दिनांक 10.10.2022 से प्राप्त हुई है कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है।

संलग्न— यथोपरि तीन प्रतियों में।

भवदीय

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone/Fax 05965-230180 Email-dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 1245 / 12-1 दिनांक, चम्पावत 10-10-2022।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

**विषय :-** जनपद चम्पावत के अंतर्गत बाराकोट में सुतेड़ा से जमरेड़ी व क्रांतेश्वर तक मोटर मार्ग हेतु 2.750 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

**सन्दर्भ:-** अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग लोहाघाट की पत्र संख्या 1089 / 20 सी 0 दिनांक 01.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है जनपद चम्पावत के अंतर्गत बाराकोट में सुतेड़ा से जमरेड़ी व क्रांतेश्वर तक मोटर मार्ग हेतु 2.750 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के लिये नोडल कार्यालय की पत्र संख्या 629/FP/UK/ROAD/42256/2019 दिनांक 01.09.2022 में प्रस्तुत आपत्तियों का अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो 0 नि 0 वि 0, लोहाघाट द्वारा निराकरण कर आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। जिसके आधार पर अनुपालन आख्या निम्न प्रकार से प्रेषित की जा रही है-

क्र0सं0	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्तियाँ	कृत कार्यवाही
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की के०एम०एल० फाईल की सी०डी० उपलब्ध नहीं करवाई गयी है। के०एम०एल० फाईल में वास्तविक क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल नहीं दर्शाया गया है। प्रतित होता है कि के०एम०एल० फाईल में अपलोड सी०ए० क्षेत्र (8 है०) किसी अन्य परियोजना का है। वास्तविक सी०ए० क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण की के०एम०एल० फाईल की सी०डी० तैयार पत्र के साथ संलग्न है, के०एम०एल० फाईल के क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल पूर्वी क्रान्तेश्वर कक्ष संख्या 10 अवनत वन भूमि में वृक्षारोपण हेतु स्थल 5.50 है० के स्थान पर मात्र 1.500 है० ओपन फॉरेस्ट ही शेष रह जाने के कारण सी०ए० लेन्ड हेतु चम्पावत रेंज, चम्पावत वन प्रभाग के पूर्वी क्रान्तेश्वर कक्ष संख्या 10 में अवनत दुगनी वन भूमि 5.500 है० का चयन कर के०एम०एल० फाईल, गूगल मैप एवं जी०ओ० रिफरेन्स मैप, स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संसोधित करने के उपरान्त अपलोड कर दी गई है। तथा लिंक रोड का प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्नक-1 से 5 एवं 15
2	प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में 18 चीड़ प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। का प्रमाण पत्र संलग्न किया जा गया है। साथ ही प्रश्नगत परियोजना में वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं कें सम्बन्ध में प्रमाण पत्र भी दिया गया है रिथति स्पष्ट करें।	बिन्दु संख्या 2 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में किसी भी प्रजाति के कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं, जिनका प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 43 में संलग्न है। साथ ही अवगत कराना है कि परियोजना हेतु वैकल्पिक समरेखन अथवा द्वितीय समरेखन में 18 वृक्ष चीड़ के प्रभावित हो रहे हैं, जो कि त्रिटिवंश आनलाईन अपलोड हो गये हैं, जिसे संसोधित कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-02 एवं भाग - 03 संलग्न नहीं किये गये हैं।	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-02 प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 78 में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरोंपरान्त संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं एवं भाग-03 पृष्ठ संख्या 80, आपके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है। संलग्नक-6 एवं 7
4	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना एवं एन०पी०वी० की धनराशि का निर्धारण वर्तमान दरों के अनुसार तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन०पी०वी० की धनराशि को नई दरों पर तैयार कर प्रेषित की जा रही है। संलग्नक-1 एवं 8
5	प्रस्ताव बाइंडिंग कर प्रस्तुत किया जाय।	प्रस्ताव बाइंडिंग कर प्रेषित किये गये हैं।
6	उपरोक्त के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक 336 दिनांक 04.08.2021 के द्वारा चाहे गये बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना भी उपलब्ध करायी जानी है।	उपरोक्त के अतिरिक्त अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक इन्डिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 336 दिनांक 04.08.2021 के द्वारा

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone/Fax 05965-230180 Email-dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 1245 / 12-1 दिनांक, चम्पावत 10-10-2022।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

**विषय :-** जनपद चम्पावत के अंतर्गत बाराकोट में सुतेड़ा से जमरेड़ी व क्रांतेश्वर तक मोटर मार्ग हेतु 2.750 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

**सन्दर्भ:-** अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग लोहाघाट की पत्र संख्या 1089 / 20 सी 0 दिनांक 01.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है जनपद चम्पावत के अंतर्गत बाराकोट में सुतेड़ा से जमरेड़ी व क्रांतेश्वर तक मोटर मार्ग हेतु 2.750 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के लिये नोडल कार्यालय की पत्र संख्या 629/FP/UK/ROAD/42256/2019 दिनांक 01.09.2022 में प्रस्तुत आपत्तियों का अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो 0 नि 0 वि 0, लोहाघाट द्वारा निराकरण कर आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। जिसके आधार पर अनुपालन आख्या निम्न प्रकार से प्रेषित की जा रही है-

क्र0सं0	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्तियाँ	कृत कार्यवाही
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की के०एम०एल० फाईल की सी०डी० उपलब्ध नहीं करवाई गयी है। के०एम०एल० फाईल में वास्तविक क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल नहीं दर्शाया गया है। प्रतित होता है कि के०एम०एल० फाईल में अपलोड सी०ए० क्षेत्र (8 है०) किसी अन्य परियोजना का है। वास्तविक सी०ए० क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण की के०एम०एल० फाईल की सी०डी० तैयार पत्र के साथ संलग्न है, के०एम०एल० फाईल के क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल पूर्वी क्रान्तेश्वर कक्ष संख्या 10 अवनत वन भूमि में वृक्षारोपण हेतु स्थल 5.50 है० के स्थान पर मात्र 1.500 है० ओपन फॉरेस्ट ही शेष रह जाने के कारण सी०ए० लेन्ड हेतु चम्पावत रेंज, चम्पावत वन प्रभाग के पूर्वी क्रान्तेश्वर कक्ष संख्या 10 में अवनत दुगनी वन भूमि 5.500 है० का चयन कर के०एम०एल० फाईल, गूगल मैप एवं जी०ओ० रिफरेन्स मैप, स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संसोधित करने के उपरान्त अपलोड कर दी गई है। तथा लिंक रोड का प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्नक-1 से 5 एवं 15
2	प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में 18 चीड़ प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। का प्रमाण पत्र संलग्न किया जा गया है। साथ ही प्रश्नगत परियोजना में वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं कें सम्बन्ध में प्रमाण पत्र भी दिया गया है रिथति स्पष्ट करें।	बिन्दु संख्या 2 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में किसी भी प्रजाति के कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं, जिनका प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 43 में संलग्न है। साथ ही अवगत कराना है कि परियोजना हेतु वैकल्पिक समरेखन अथवा द्वितीय समरेखन में 18 वृक्ष चीड़ के प्रभावित हो रहे हैं, जो कि त्रिटिवंश आनलाईन अपलोड हो गये हैं, जिसे संसोधित कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-02 एवं भाग - 03 संलग्न नहीं किये गये हैं।	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-02 प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 78 में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरोंपरान्त संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं एवं भाग-03 पृष्ठ संख्या 80, आपके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है। संलग्नक-6 एवं 7
4	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना एवं एन०पी०वी० की धनराशि का निर्धारण वर्तमान दरों के अनुसार तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन०पी०वी० की धनराशि को नई दरों पर तैयार कर प्रेषित की जा रही है। संलग्नक-1 एवं 8
5	प्रस्ताव बाइंडिंग कर प्रस्तुत किया जाय।	प्रस्ताव बाइंडिंग कर प्रेषित किये गये हैं।
6	उपरोक्त के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक 336 दिनांक 04.07.2021 के द्वारा चाहे गये बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना भी उपलब्ध करायी जानी है।	उपरोक्त के अतिरिक्त अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक इन्डिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 336 दिनांक 04.08.2021 के द्वारा

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone/Fax 05965-230180 Email-dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 1245 / 12-1 दिनांक, चम्पावत 10-10-2022।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

**विषय :-** जनपद चम्पावत के अंतर्गत बाराकोट में सुतेड़ा से जमरेड़ी व क्रांतेश्वर तक मोटर मार्ग हेतु 2.750 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

**सन्दर्भ:-** अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग लोहाघाट की पत्र संख्या 1089 / 20 सी 0 दिनांक 01.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है जनपद चम्पावत के अंतर्गत बाराकोट में सुतेड़ा से जमरेड़ी व क्रांतेश्वर तक मोटर मार्ग हेतु 2.750 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के लिये नोडल कार्यालय की पत्र संख्या 629/FP/UK/ROAD/42256/2019 दिनांक 01.09.2022 में प्रस्तुत आपत्तियों का अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो 0 नि 0 वि 0, लोहाघाट द्वारा निराकरण कर आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। जिसके आधार पर अनुपालन आख्या निम्न प्रकार से प्रेषित की जा रही है-

क्र०सं०	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्तियाँ	कृत कार्यवाही
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की के०एम०एल० फाईल की सी०डी० उपलब्ध नहीं करवाई गयी है। के०एम०एल० फाईल में वास्तविक क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल नहीं दर्शाया गया है। प्रतित होता है कि के०एम०एल० फाईल में अपलोड सी०ए० क्षेत्र (8 है०) किसी अन्य परियोजना का है। वास्तविक सी०ए० क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण की के०एम०एल० फाईल की सी०डी० तैयार पत्र के साथ संलग्न है, के०एम०एल० फाईल के क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल पूर्वी क्रान्तेश्वर कक्ष संख्या 10 अवनत वन भूमि में वृक्षारोपण हेतु स्थल 5.50 है० के स्थान पर मात्र 1.500 है० ओपन फॉरेस्ट ही शेष रह जाने के कारण सी०ए० लेन्ड हेतु चम्पावत रेंज, चम्पावत वन प्रभाग के पूर्वी क्रान्तेश्वर कक्ष संख्या 10 में अवनत दुगनी वन भूमि 5.500 है० का चयन कर के०एम०एल० फाईल, गूगल मैप एवं जी०ओ० रिफरेन्स मैप, स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संसोधित करने के उपरान्त अपलोड कर दी गई है। तथा लिंक रोड का प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्नक-1 से 5 एवं 15
2	प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में 18 चीड़ प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। का प्रमाण पत्र संलग्न किया जा गया है। साथ ही प्रश्नगत परियोजना में वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं कें सम्बन्ध में प्रमाण पत्र भी दिया गया है रिथति स्पष्ट करें।	बिन्दु संख्या 2 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में किसी भी प्रजाति के कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं, जिनका प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 43 में संलग्न है। साथ ही अवगत कराना है कि परियोजना हेतु वैकल्पिक समरेखन अथवा द्वितीय समरेखन में 18 वृक्ष चीड़ के प्रभावित हो रहे हैं, जो कि त्रिटिवंश आनलाईन अपलोड हो गये हैं, जिसे संसोधित कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-02 एवं भाग - 03 संलग्न नहीं किये गये हैं।	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-02 प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 78 में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरोंपरान्त संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं एवं भाग-03 पृष्ठ संख्या 80, आपके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है। संलग्नक-6 एवं 7
4	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना एवं एन०पी०वी० की धनराशि का निर्धारण वर्तमान दरों के अनुसार तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन०पी०वी० की धनराशि को नई दरों पर तैयार कर प्रेषित की जा रही है। संलग्नक-1 एवं 8
5	प्रस्ताव बाइंडिंग कर प्रस्तुत किया जाय।	प्रस्ताव बाइंडिंग कर प्रेषित किये गये हैं।
6	उपरोक्त के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक 336 दिनांक 04.07.2021 के द्वारा चाहे गये बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना भी उपलब्ध करायी जानी है।	उपरोक्त के अतिरिक्त अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक इन्डिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 336 दिनांक 04.08.2021 के द्वारा

		लगाई गयी आपत्तियों की भी सूचना मांगी गयी है। जो निम्न प्रकार है :—
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक इन्डिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 336 /FP /UK /ROAD /42256 /2019 देहरादून दिनांक 04.08.2021 की अनुपालन आख्या निम्नानुसार है।		
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना वर्तमान दरों के अनुसार तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न की जानी है।	बिन्दु संख्या 01 का प्रत्युत्तर बिन्दु संख्या 04 के अनुसार है। <b>संलग्नक-1</b>
2	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 43 एवं 44 प्रस्तावित परियोजना में निर्माण में वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं प्रमाण पत्र संलग्न है, वही प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 45 में 18 वृक्ष प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है। हो रहे हैं। स्थिति स्पष्ट करें।	बिन्दु संख्या 02 का प्रत्युत्तर बिन्दु संख्या 02 के अनुसार है।
3	मलवा निस्तारण हेतु चयनित नाप भूमि में भू-स्वामियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें व मलवा निस्तारण स्थल को मानचित्र में भी दर्शाया जाय।	दिनांक 10.07.2019 को ग्रामसभा में बैठक की गई। बैठक में यह भी चर्चा की गई कि नापभूमि में मलवा डाला जा सकता है, ग्रामवासियों द्वारा नाप भूमि में मलवा डालने हेतु सहमति दी गयी, हस्ताक्षरयुक्त सहमति पत्र एवं गूगल मानचित्र अक्षांश- देशान्तर सहित संलग्न है। संलग्नक-9 से 12
4	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 50 में राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य, हाथी कारीडोर आदि का हिस्सा न होने का प्रमाण पत्र में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है। सम्बन्धी प्रमाण पत्र हस्ताक्षर उपरान्त प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 50 में राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य, सम्बन्धित प्रमाण पत्र हस्ताक्षर उपरान्त प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है। संलग्नक-13
5	प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों में प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु भूमि का चयन सिविल सोयम भूमि में लिये जाने का उल्लेख किया गया है किन्तु प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 56 में सम्बन्धित वन पंचायत सरपंच द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु वन पंचायत भूमि प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है स्थिति स्पष्ट करें।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में सिविल सोयम भूमि प्रस्तावित हो रही है, जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 9(3) ग व श्रेणी 10(4) ब०ना०का०आ० के नाम दर्ज है। श्रेणी 9(3) ग गौचर की भूमि प्रस्तावित होने के कारण सरपंच द्वारा अनापत्ति दी गयी है।
6	प्रस्ताव में संलग्न पार्ट-2 प्रपत्र जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है में हरियाली का घनत्व 0.10 अंकित है, जबकि एन०पी०वी० निर्धारण के प्रपत्र में हरियाली का घनत्व 0.010 अंकित किया गया रिथिति स्पष्ट करें।	प्रस्तावित मोटर मार्ग में वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं। मार्ग में हरियाली का घनत्व 0.10 है, जो झाड़ी वन के नाम से है। भाग 2 में हरियाली का घनत्व सही कर दिया गया है। एन०पी०वी० में 0.10 सही कर पुनः नई दरों पर एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन उपरान्त प्रेषित किया जा रहा है। संलग्नक- 8
7	प्रस्ताव में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति (भाग-3) संलग्न की जाय।	प्रस्ताव में संलग्न पार्ट- 3 प्रपत्र में आपके द्वारा संस्तुति दी जानी है।
8	प्रस्ताव में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न है।	स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न है। संलग्नक-14

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार सूचना अपने स्तर से अपर प्रमुख एवं नोडल अधिकारी भूमि संरक्षण निदेशालय, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।

**संलग्नक:-** उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

भवदीय,

(आर०सी० काण्डपाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांक 1245 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वी०, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,

चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

b



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
लोहाघाट।

पत्रोंक :- 1089 / २०८.  
सेवा में,

दिनांक - 01/10/2022

प्रभागीय वनाधिकारी,  
चम्पावत वनप्रभाग,  
चम्पावत।

विषय :- जनपद चम्पावत के अन्तर्गत बाराकोट में सुतेड़ा से जमरेड़ी व कान्तेश्वर तक मोटर के निर्माण हेतु 2.750 हेठो वनभूमि का गैर वानिकीय कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्डिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रोंक 629 / FP/UK/ROAD/42256/2019 देहरादून दिनांक 01-09-2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार है -

1- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की KML File की सी0डी0 तैयार कर पत्र के साथ संलग्न है, KML file के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल पूर्वी कान्तेश्वर कक्ष सं0-10 अवनत वनभूमि में वृक्षारोपण हेतु स्थल 5.500 हेठो के स्थान पर मात्र 1.500 हेठो ओपन फरेस्ट ही शेष रह जाने के कारण CA Land हेतु चम्पावत रेन्ज, चम्पावत वनप्रभाग के पूर्वी कान्तेश्वर कक्ष सं0-10 में अवनत दुगनी भूमि 5.500 हेठो का चयन कर KML file अपलोड कर दी गयी है। गूगल एवं जी0ओ0 रिफरेन्स मैप संशोधित करने के उपरान्त स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न किये जा रहे हैं।

2- बिन्दु सं0 2 के कम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में किसी भी प्रजाति के कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं, जिसका प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 43 में संलग्न है, साथ ही अवगत कराना है कि परियोजना हेतु वैकल्पिक समसरेखन अथवा द्वितीय समसरेखन में 18 वृक्ष चीड़ के प्रभावित हो रहे हैं, जो कि त्रिविश आनलाईन अपलोड हो गये हैं, जिसे अपने स्तर से भी हटाने का कष्ट करें।

3- भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-02 प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 78 में आपके हस्ताक्षरोंपरान्त संलग्न है एवं भाग-3 पृष्ठ सं0 80 वनसंरक्षक, उत्तरी कुमार्यू अल्मोड़ा के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है।

4- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि को नई दरों पर तैयार कर आपके हस्ताक्षरोपरान्त प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

5- प्रस्ताव पूर्व से ही बाइन्ड कर प्रेषित किये गये हैं।

6- उपरोक्त के अतिरिक्त अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्डिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रोंक 336 दिनांक 04-08-2021 के द्वारा लगाई गयी आपत्तियों की भी सूचना मांगी गयी है, जो निम्न प्रकार है-

- बिन्दु 1- बिन्दु सं0 1 का प्रत्युत्तर बिन्दु 4 के अनुसार है।  
बिन्दु 2- बिन्दु सं0 2 का प्रत्युत्तर बिन्दु 2 के अनुसार है।

बिन्दु 3— दिनांक 10-7-2019 को ग्रामसभा में बैठक की गई। बैठक में यह भी चर्चा की गई कि नापभूमि में मलुवा डाला जा सकता है, ग्रामवासियों द्वारा नाप भूमि में मलुवा डालने हेतु सहमति दी गयी, हस्ताक्षरयुक्त सहमति पत्र एवं गूगल मानचित्र अक्षांश-देशान्तर सहित संलग्न है।

4— प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 50 में राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण सम्बन्धी प्रमाण पत्र हस्ताक्षर उपरान्त प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।

5— प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में सिविल सोयम भूमि प्रभावित हो रही है, जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 9(3)ग व श्रेणी 10(4)बं0ना0का0आ0 के नाम दर्ज है। श्रेणी 9(3)ग गौचर की भूमि प्रभावित होने के कारण सरपंच द्वारा भी अनापत्ति दी गयी है।

6— प्रस्तावित मोटर मार्ग में वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं। मार्ग में हरियाली का घनत्व 0.10 है, जो झाड़ी वन के नाम से हैं। भाग-2 में हरियाली का घनत्व सही कर दिया गया है। एन0पी0वी0 में 0.10 सही कर पुनः नई दरों पर एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन आपके हस्ताक्षर उपरान्त प्रेषित किया जा रहा है।

7— प्रस्ताव में संलग्न पार्ट-3 प्रपत्र में वनसंरक्षक उत्तरी कुमाऊ अल्मोड़ा द्वारा संस्तुति दी जानी है।

8— स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न है।

9— लिंक मार्ग होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :— पत्रानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,  
लोहाघाट।

पत्रांक :— ..... /

दिनांक — .... / .... / 2022

प्रतिलिपि — अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि — जिलाधिकारी, चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — खण्डीय अमीन, लो0नि0वि0, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,  
लोहाघाट।

## क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम :— जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट अंतर्गत सुतेंडा से जमरेडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.750 है० वन भूमि के सापेक्ष 5.50 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण)

पू० क्रान्तेश्वर क०सं०-१० अवनत वन भूमि है०-५.५० है०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :— 6050 पौधे (1100 पौधे प्रति है०)

क० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन	5.500	है०	147.00	808.50
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	5.500	है०	887.00	4878.50
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) 84 घनमीटर प्रति है० की दर से = 84 X 5.50 है० = 892.58 घमी०	462.00	घन मी०	478.00	220836.00
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्राविधान (पूर्ण)	5.500	है०	11700.00	64350.00
5	गड्ढे खुदान (0.30x0.30x0.45) 2000 प्रति सेकड़ा गड्ढा	6050	गड्ढे	11.14	67397.00
6	निरीक्षण बटिया बनना	5.500	है०	737.00	4053.50
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	6050	पौधे	8.70	52635.00
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र संयन्त्र, औजार तेज करना एवं कार्यों पर व्यय	L/S	L/S	L/S	152000.00
9	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	100000.00
	योग — प्रथम चरण				666958.50
	<b>द्वितीय चरण</b>				
1	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)	6050	गड्ढे	1.75	10587.50
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	6050	पौधे	1.75	10587.50
3	पौध छुलान कार्य	6050	पौधे	9.70	58685.00
4	पौध रोपण व थालाबन्दी	6050	पौधे	3.13	18936.50
5	निराई गुडाई व मलिंग (दो बार)	6050	पौधे	1.15	6957.50
6	खाद व दवा पर व्यय प्रति सेकड़ा पौधा	6050	पौधे	0.320	1936.00
7	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव पर व्यय	5.500	है०	7235.00	39792.50
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत				
	सूखे घाट फूस एवं ज्वलनशील पदर्थों का हटाना प्रति है०	5.500	है०	350.00	1925.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/धेरबाढ़ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	5.500	है०	225.00	1237.50

	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.500	हे0	400.00	2200.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि कय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट कय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फ़िल्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार--प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य।	5.500	हे0	700.00	3850.00
	अन्य कार्य	L/S	हे0	L/S	130000.00
	योग- द्वितीय चरण				286695.00
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण		हे0		953653.50
	तृतीय चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (9044 ग 12) / 10=10852	5.500	हे0	10852.00	59686.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	5.500	हे0	350.00	1925.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	5.500	हे0	225.00	1237.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.500	हे0	400.00	2200.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	75000.00
	योग - तृतीय चरण				140048.50
	चतुर्थ चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (9044 X 12) / 10=10852	5.500	हे0	10852.00	59686.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	5.500	हे0	350.00	1925.00

	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	5.500	है०	225.00	1237.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.500	है०	400.00	2200.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	50000.00
	<b>योग – चतुर्थ चरण</b>				<b>115048.50</b>
	<b>पंचम चरण</b>				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5.500	है०	10852.00	59686.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	5.500	है०	350.00	1925.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	5.500	है०	225.00	1237.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.500	है०	400.00	2200.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	50000.00
	<b>योग – पंचम चरण</b>				<b>115048.50</b>
	<b>षष्ठम चरण</b>				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5.500	है०	10852.00	59686.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	5.500	है०	350.00	1925.00

	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	5.500	हे०	225.00	1237.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.500	हे०	400.00	2200.00
3	अन्य कार्य	10.626	L/S	L/S	50000.00
	योग – षष्ठम चरण				<b>115048.50</b>
	सप्तम चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5.500	हे०	10852.00	59686.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे धास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	5.500	हे०	350.00	1925.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	5.500	हे०	225.00	1237.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.500	हे०	400.00	2200.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	50000.00
	योग – सप्तम चरण				<b>115048.50</b>
	सप्तम चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5.500	हे०	10852.00	59686.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे धास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	5.500	हे०	350.00	1925.00

	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	5.500	हे०	225.00	1237.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.500	हे०	400.00	2200.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	50000.00
	योग – सप्तम चरण				<b>115048.50</b>
	अष्टम चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5.500	हे०	10852.00	59686.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे धास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	5.500	हे०	350.00	1925.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	5.500	हे०	225.00	1237.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.500	हे०	400.00	2200.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	50000.00
	योग – अष्टम चरण				<b>115048.50</b>
	नवम चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5.500	हे०	10852.00	59686.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे धास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	5.500	हे०	350.00	1925.00

	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	5.500	हे०	225.00	1237.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.500	हे०	400.00	2200.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	50000.00
	योग – नवम चरण				<b>115048.50</b>
	दशम चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5.500	हे०	10852.00	59686.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे धास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	5.500	हे०	350.00	1925.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	5.500	हे०	225.00	1237.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.500	हे०	400.00	2200.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	50000.00
	योग – दशम चरण				<b>115048.50</b>
	एकादश चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5.500	हे०	10852.00	59686.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे धास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	5.500	हे०	350.00	1925.00

	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	5.500	हे०	225.00	1237.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.500	हे०	400.00	2200.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	50000.00
	योग - एकादश चरण				115048.50
	द्वादश चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5.500	हे०	10852.00	59686.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	5.500	हे०	350.00	1925.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	5.500	हे०	225.00	1237.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.500	हे०	400.00	2200.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	50000.00
	योग - द्वादश चरण				115048.50
				कुल योग	2244187.00
				5.5@407992.00 अथवा	2243956.00

विधायिका  
जनी पुष्पा रेण  
समाज वन अभाव

Randy  
प्रभागीय वनाधिकारी

## प्रारूप-43

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा से जमरेड़ी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण।

उपरोक्त परियोजना के नवनिर्माण हेतु 2.450 है 0 एवं 0.300 है 0 कुल 2.750 है 0 सिविल सोयम भूमि मार्ग के समरेखन में प्रभावित हो रही है। प्रस्तावित 2.750 है 0 के दुगने अर्थात् 5.500 है 0 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु स्थल का चयन जनपद चम्पावत के चम्पावत रेन्ज पूर्वीकृतेक्षक सं-10 क्षेत्रफल— 5.500 है 0 आरक्षित अवनत वनभूमि प्रस्तावित की जाती है। यह क्षेत्र प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से उचित है।


अतः यह चयनित भू-भाग क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी  
चम्पावत वन क्षेत्र


J. S.  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
चम्पावत

Randy  
है 0/-  
प्रभागीय वनाधिकारी  
प्रभागीय वनाधिकारी  
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

100/-  
१६७०



डिजीटल मैपः— जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेडा जमरेडी व क्रांतेश्वर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल पूर्वी क्रान्तेश्वर को सं-१०, क्षेत्रफल—५.५ है, रेंज—चम्पावत, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत



### Legend

- CA Land
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary
- Purposed Land

0 0.25 0.5 1 Km

संलग्नक ३  
वन क्षेत्राधिकारी  
वन क्षेत्र वन क्षेत्र  
उप प्रभागीय क्षेत्राधिकारी  
चम्पावत



(Raj)

सहायक अधिकारी  
नियां खण्ड लो.नि.वि.

अधिकारी अधिकारी

# संलग्नक - 4

जियो रैफरेन्स मैपः— जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट के अर्त्तगत सुतेड़ा जमरेड़ी व क्रांतेश्वर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल पूर्वी क्रान्तेश्वर क0सं0-10, क्षेत्रफल-5.5 है0, रेंज—चम्पावत, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत



## Legend



- GPS Points

  Purposed Land

ID	Latitude	Longitude
1	29.3078728	80.197637
2	29.3083647	80.1972941
3	29.3092501	80.1976446
4	29.3094686	80.1986617
5	29.3092279	80.2003873
6	29.308765	80.2010251
7	29.3083475	80.2007307
8	29.3077347	80.1999383
9	29.307544	80.1991309
10	29.307507	80.1984029
11	29.307507	80.1984029

लोहाघाट  
पूर्वी



दन क्षेत्राधिकारी  
चम्पावत वन क्षेत्र

पूर्वी  
उप प्रभागीय क्षेत्राधिकारी  
चम्पावत

Ramay

# सूलगंगका - ५

गूगल अर्थ मैपः— जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा जमरेड़ी व क्रांतेश्वर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल पूर्वी क्रान्तेश्वर क0सं0–10, क्षेत्रफल—5.5 है0, रेंज—चम्पावत, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत



## Legend

- GPS Points
- Purposed Land

0    0.1    0.2    0.4 Km

ID	Latitude	Longitude
1	29.3078728	80.197637
2	29.3083647	80.1972941
3	29.3092501	80.1976446
4	29.3094686	80.1986617
5	29.3092279	80.2003873
6	29.308765	80.2010251
7	29.3083475	80.2007307
8	29.3077347	80.1999383
9	29.307544	80.1991309
10	29.307597	80.1984088
11	29.307777	80.1979472

— भूखंड  
9666

सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.

वन क्षेत्राधिकारी  
चम्पावत वन क्षेत्र

उप प्रभागीय बनाधिकारी  
चम्पावत

अधिकारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.

Ramdeo  
प्रभागीय बनाधिकारी

प्रारूप-३

भाग-२

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति -

जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकासखण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेडा से जमरेडी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

(i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र -

उत्तराखण्ड।

(ii) जिला -

चम्पावत।

(iii) जिला वन प्रभाग -

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि का क्षेत्र - 2.750 हेक्टर

2. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति: आरक्षित / सिविल सोयम भूमि

3. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:

(i) वन का प्रकार सिविल सोयम वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व - 0.10

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना— मोटर मार्ग के निर्माण से वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा - NA

4. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी-

5. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : २०० मी.

6. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्त्वा :

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : १५८५ मी.

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याधि रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवासी गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) नहीं

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याधि रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) - नहीं।

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याधि रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवासी आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) - नहीं।

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे— नहीं।

7. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) — नहीं।

8. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। —अपरिहार्य एवं न्यूनतम।

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

9. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ / नहीं) – नहीं।
- (ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही – नहीं।
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ / नहीं) – लागू नहीं।


10. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

- (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। – संलग्न है।
- (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे व्यौरे दें। – संलग्न है।
- (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है। – संलग्न है।
- (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हाँ / नहीं)। – संलग्न है।
- (v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :
- (vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हाँ / नहीं)। – संलग्न है।

11. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ / नहीं)। – हाँ


12. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें।

भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।



स्थान:

तारीख:



उप प्रभागीय वनाधिकारी  
चम्पावत वन प्रभाग



प्रभागीय वनाधिकारी  
चम्पावत वन प्रभाग  
चम्पावत वन प्रभाग

हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा

## प्रारूप-४

भाग-३

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा से जमरेड़ी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

28. क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेशण की तारीख संलग्न की जाय।	
29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिं गों से सहमत हैं।	
30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिश्ट सिफारिं गों	

स्थान:

तारीख:

वन संरक्षक  
कल्पव्रिक्ष  
चम्पावत वन भूमाल

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा

परियोजना का नाम :— जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेडा से जमरेडी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य ।

### एन०पी०वी० की धनराशि का आँकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 एवं पत्रांक 5-3 /2011 - ए०फ० सी० (VOL)-1 दिनांक 06.01.2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी— V
2. हरियाली का घनत्व— 0.10
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हेतु— 1005210
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल— 5.50 हेतु
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि— 5528655.00

सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.  
लोहाघाट

अधिकारी (अभियन्ता)  
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.  
लोहाघाट

हेतु   
प्रभागीय बुनाइकारी  
प्रभागीय बुनाइकारी

वन अधिकारी  
काली कुमाऊँ रेज़ि  
चम्पावत वन प्रभाग

— निरापेक्ष प्राव वर् —

— — X — — —

— ग्राम सभा सुतड़ा विंशठ-वाराकोट (चम्पावत)

सेवा में

— अधिकारी ज्ञानप-रा मधुप  
लो मिठ विं - लोहाघाट

विषय - सुतड़ा जमीन का देश और माहौल के विभाग के बाब-ब

मधुप

जनरोंहा हो कि सुतड़ा जमीन का देश और माहौल की  
र-बीकूट यासन से प्राचीर हो गयी हो विषय सुतड़ा की  
वन पंचायत - छोटी पड़वाई हो फौली बहु गाँव की छोटी  
लिविल भूमि हो लिविल भूमि - विभाग को देखें, ग्राम  
पंचायत सुतड़ा की काड़ आपहिट - हो हो अत बहिट  
में विभाग काढ़ी पार्य - किया जाए।  
प्रतार सर्वत्रभाटि से पात्र किया जाए हो

शिवराज छिट्टे

सरपच

वन पंचायत सुतड़ा

वि.ख.- विंशठ (चम्पावत)

संवाद

आधिकारी अधिकारी महादप  
लो। निं. किं लो। इंद्राधार

विषय - मलबा निष्टायण के ग्रन्थ-पुस्तक।

महादप

सादर चिरेन कट इवाह करना वाहते हो कि  
सुरेण बमरडी का दृष्टवर्मा द्वारा प्राप्ति देखते हुए सुना  
रोड करिंग कर काम किया जाए ही सुरेण द्वारा भासू  
करिंग काम द्वारा या मलबा निष्टायण उद्धव ग्रन्थ वाला कर  
किसी भी पुकार की आपत्ति नहीं हो विनाश हो।  
मलबा निष्टायण करने में ग्रामनाट्टपुर की कोड आपत्ति  
नहीं हो। महादप द्वारा मुमिन द्वारा की आपत्ति  
रोड करिंग का काम करता वह की कृपा करें।  
सुरेण की ओर सुनिश्चित मलबा भास घर पर्याप्त करायें।

दलभाट द्वारा ग्रामनाट्टपुर

① रघुनाथ गुप्त

② श्रीकराज मिश्र

③

④

⑤

⑥ भास्मानं सिंह

⑦ पूर्णसुरेण

⑧ द्वारा द्वारा

१५

शाम प्रधान

शाम पंचायत सुतेजा

१५ अ० बासांगोट विधायक

श्रीकराज मिश्र  
सरपंच  
वन पंचायत सुतेजा  
वि.ख. - बाराकोट (विधायक)

संवाद में

आधिकारी अधिकारी महादप  
लो। निं. किं. लो। इंद्राधार

विषय - मलबा निष्टायण के अवधि में।

महादप

सावर चिरेन कट इवार करना चाहते हो कि  
सुरेण बमरडी का दृश्यमान प्राणी देखते हुए सुना  
रोड करिंग कर कर्म किया जाए ही सुरेण जु भाग  
करिंग काम में वा मलबा निष्टायण उठा गारवाला कर  
किसी भी पुकार की आपत्ति नहीं हो विनाश हो।  
मलबा निष्टायण करने में गामतान्त्रिक को कोई आपत्ति  
नहीं हो। महादप ने नम मिठ्ठन छा कि इरिंग  
रोड करिंग का काम करता वह की कृपा करें।  
सुरेण की ओर सुनिश्च मलबा भान घर पर्याप्त करायें दूसरी

दलभाट दृष्टि गामतान्त्रिक

① Ramdev Singh

② शिवराज मिठ्ठे

③ Shivraj Miththa

④ Shivraj Miththa

⑤ Shivraj Miththa

⑥ बाल्मीकी सिंह

⑦ पूर्ण सुरेण


⑧ दाम-मिठ्ठे

०६  
शाम प्रधान  
शाम पंचायत सुरेण  
०६ अ. बालकोट (वर्धावत)

शिवराज मिठ्ठे  
सरपब  
वन पंचायत सुरेण  
वि.ख. - बालकोट (वर्धावत)

## Muck Disposal of construction of Sutera to Jamredi motor road map

Write a description for your map.



## Muck Disposal of Construction of Sutera to Jamredi Motor Road

Sl. No.	Km. & Ch.	Total Muck as per Sheet	Khata No	Size of dumping Yard	Capacity of dunping Yard (in cum)	Owner of private Land	Coordinate		
							Longitude	Latitude	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.000 to 1.000	Total Muck	7500	Nap Land	30*20*5 40*30*4	3000 4800	Naap Land Naap Land	$80^{\circ}8'34.66'' E$ $80^{\circ}8'33.22'' E$	$29^{\circ}26'59.00'' N$ $29^{\circ}27'0.14'' N$
		60% Used Muck	4500						
		40% Un used Muck	3000						
2	1.000 to 4.500	Total Muck	57750	Civil Land	20*20* 2	800	Civil Land Civil Land Civil Land Civil Land Civil Land	$80^{\circ}8'34.66'' E$ $80^{\circ}8'34.40'' E$ $80^{\circ}8'39.22'' E$ $80^{\circ}8'47.73'' E$ $80^{\circ}8'41.81'' E$	$29^{\circ}26'59.00'' N$ $29^{\circ}26'57.97'' N$ $29026'53.76'' N$ $29026'50.17'' N$ $29026'55.52'' N$
		70% Used Muck	40425		20*20*2	800			
		30% Un used Muck	17325		20*20*2	800			
		Total Muck	3750		20*20*2	800			
3	4.500 to 5.000	40% Used Muck	1500	Nap Land	30*20*3 30*20*3	1800 1800	Naap Land	$80^{\circ}8'16.20'' E$ $80^{\circ}8'21.92'' E$	$29^{\circ}27'24.98'' N$ $29^{\circ}27'37.67'' N$
		60% Un used Muck	2250						
		Total Muck	69000.0						
		Used Muck	46425.0						
		Un used Muck	22575.0						

सहायक अधिकारी  
निमार्ण खण्ड लो.नि.वि.  
लोहाघाट

अधिकारी अधिकारी  
निमार्ण खण्ड लो.नि.वि.  
लोहाघाट

## राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा से जमरेड़ी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण।

उपरोक्त परियोजना के निर्माण में राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण, हाथी कोरीडोर व अन्य किसी वन्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।

*Chanday*  
बन वनाधिकारी  
काली छापाड़े रेस्ट  
चम्पावत वन प्रभाग

*Chanday*  
लहायका वंभियन्ना  
विवाच खण्ड नॉ. नि० वि०  
लोहाघाट

ह०/  
प्रधानमंत्री सभियन्ता  
निर्माण खण्ड नॉ. नि० वि०  
लोहाघाट (चम्पावत)

*Chanday*  
प्रभागीय वनाधिकारी  
चम्पावत वन पूर्भाग चम्पावत।

प्रारूप-7

**SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF**  
 (for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from Executive Engineer, P.W.D, Lohaghat for diversion under FCA-1980) of 2.750 ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of Sutera to Jmreyri or Kanteswar Road .The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated. ०५-१०-२०२०...

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed Other forests measuring 2.750 ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. Yes (✓)

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details thereof :- नहीं

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-  
 a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. Yes(✓)


b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. No (✗)

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal. प्रत्याक्षर की स्थिति नहीं है  
 (नोट:- प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति/टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित की जाय)

(Signature)

Place:-CHAMPAWAT

Date:- ०५-१०-२०२०

  
 (Mayank Shekhar Jha)

 DIVISIONAL FOREST OFFICER,  
 CHAMPAWAT FOREST DIVISION  
 Office Seal .....

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.

## लिंक मार्ग होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र— लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा से जमरेडी व क्रान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। स्वीकृत लम्बाई 5.000 कि.मी.

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित मोटर मार्ग चौमेल वल्सों मोटर मार्ग के कि० मी० 5.00 के अन्तिम बिन्दु ग्राम सुतेड़ा से प्रारम्भ होकर ग्राम सभा जमरेडी तक लिंक रोड के रूप में निर्मित की जा रही है।

  
कनिष्ठ अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
लोहाघाट।

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,  
लोहाघाट।

  
अधिकारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,  
लोहाघाट।